कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1841 /12-1 : देहरादूनः 26 दिनांकः फरवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अंर्तगत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अंर्तगत सैन्थल से मौचोरा(शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग हेतु 3.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।**(FP/UK/ROAD/50469/2020)**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक–8 बी/यू0सी0पी0/06/72/2016/एफ0सी0/982, दिनांक–20.01.2023।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2007/12–1, दिनांक–09.02.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई हैं। जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point No.1 of this office EDS dated 06.06.2022, the clarification provided is not acceptable as the location of village 'Bijori' is not marked. It is requested to submit the reply to point No. 1 of this office EDS letter 06.06.2022.	वन संरक्षक,उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु संख्या–01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। दिनांक–06.06.2022 को लगाई गई आपत्ति पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आबादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बडीगांव व मौचेरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे है, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी की होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नहीं पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किये जाने की स्थिति में बिजौरी की मोटर मार्ग से दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना संभव नहीं है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके कम में मोटर मार्ग के संशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने संभव नहीं है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा। ग्राम बिजोरी को के0एम0एल0 पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	In reply to point No. 2, correction in tree enumeration is still not done in online portal. As per the details provided only 59 trees are required to felled, therefore it is requested to make necessary amendments at para 4 in Part II of the proposal in online portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पोर्टल–।। मे सही सूचना अपडेट कर दी गयी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर व वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1841 /12-1/ दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।